उत्तराखण्ड वन विभाग,
उत्तराखण्ड सरकार

प्रस्तावना

उत्तराखंड के नागरिकों और सभी हितधारकों को सिटीजन चार्टर प्रस्तुत करने में मुझे बहुत खुशी मिल रही है। यह संशोधित चार्टर एक कुशल, विवेकपूर्ण और उत्तरदायी वन प्रशासन प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने का एक ईमानदार प्रयास है। हम वन विभाग द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इस चार्टर की सफलता बहुत हद तक सेवाओं के आश्वासित स्तर को प्राप्त करने के लिए ग्राहकों से मिलने वाली सक्रिय प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। अपने प्रयास की सफलता के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है तथा हम इसकी कामना करते हैं।

ह0

(राजिन्दर महाजन, भा0व0से0)
प्रमुख वन संरक्षक(HOFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय सूची

क0स0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	3
2	हमारा विजन	3
3	हमारा मिशन	3
4	निष्पादित किए जाने वाले कार्य का विवरण	4
5	हमारे लाभार्थी	5
6	हमारी सेवाऐं	5
7	नागरिकों से हमारी अपेक्षाएँ	5
8	शिकायत निवारण तंत्र	6
9	राज्य स्तर पर शिकायत निवारण के लिए प्रभारी अधिकारी का पता	7
10	शिकायतों के साथ नागरिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता	7
11	सेवाओं की डिलीवरी के लिए समय–रेखा	8
12	नागरिक चार्टर की समीक्षा	9

सिटिजन चार्टर

वन विभाग, उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य के वन, पर्यावरण, वन्यजीव, जैव विविधता और अन्य प्राकृतिक संसाधनों (वनस्पतियों और जीवों) के प्रशासन के लिए रेखीय विभाग है। वन विभाग सरकार द्वारा अधिसूचित वन क्षेत्रों का संरक्षक है और हम उत्तराखंड राज्य की सीमा अर्न्तगत आने वाले, लगभग सभी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का प्रबंधन, विकास और संरक्षण करते हैं। राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे में यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर की वानिकी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए एजेंसी भी है और विभिन्न वानिकी कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं के नियोजन, संवर्धन, समन्वय और समग्र कार्यान्वयन के लिए है। हमारी सेवाओं के वितरण में सुधार करने के लिए, इस सिटीजन चार्टर को तैयार किया जा रहा है।

हमारा विजन

''एक संगठन जो उत्तराखंड के वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को एक भागीदारी और लोगों के उपर केंद्रित तरीके से सतत् प्रबंधन करने की ताकत रखता है, ताकि स्थानीय समुदायों और उनके आसपास के वन संसाधनों के बीच एक मजबूत बंधन विकसित हो, जो नाजुक पारिस्थितिक तंत्र और लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण करें। वन भूमि, प्राकृतिक वन और उनकी जैव विविधता की रक्षा करें। वनवासियों और वन आधारित उद्योगों की वास्तविक जरूरतों को सतत् आधार पर पूरा करने के लिए भू–उपयोग को अनुकूलन (Optimize) करें और वानिकी आधारित गतिविधियों के माध्यम से रोजगार सृजन के अधिकतम अवसर पैदा करें "।

हमारा लक्ष्य

उत्तराखंड के लोगों के लिए लोगों पर केन्द्रित तरीके से परिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण, विकास और तथा प्रबंधन करना।

निष्पादित किए जाने वाले कार्य का विवरण

1. हमारे राष्ट्रीय वन, पर्यावरण, वन्यजीव और जैव विविधता कृत्यों (Biodiversity acts) और नीतियों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को लागू करना।

2. उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से उत्पन्न वनों का वैज्ञानिक और सतत प्रबंधन करने के लिए कार्य करना।

3. उत्तराखंड के सभी बंजर भूमि पर वृक्षारोपण और मिट्टी और नमी संरक्षण योजनाओं को तैयार करना और उन्हें लागू करना।

4. सिविल / आम भूमि, संस्थागत भूमि और निजी भूमि पर कृषि–वानिकी आधारित मॉडल विकसित और कार्यान्वित करना।

5. उत्तराखंड के वन्यजीवों के संरक्षण और मानव–वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कार्य करना।

6. आर्द्रभूमि पारिस्थिति की प्रणालियों जैसे नदी प्रणालियों, झीलों, तालाबों और अन्य जल निकायों के संरक्षण विभिन्न जल संरक्षण योजनाओं को तैयार करना एवं कार्यान्वित करना।

7. उत्तराखंड के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों के वन प्रभागों में अनुमोदित प्रबंधन/ कार्य योजनाओं में निर्धारित किए गए कार्यो को लागू करना।

8. ईंधन की लकड़ी, चारा और स्थानीय ग्रामीण धारकों को लकड़ी की सही जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्य करना।

9. उत्तराखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना।

10. उत्तराखंड में गैर टिम्बर फारेस्ट प्रोड्यूस (NTFP) और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स(MAP) क्षेत्र को विकसित करने एवं इसके संबंध में रोजगार सृजन के लिए कार्य करना ।

11. स्थायी आधार पर वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति को पूरा करना।

12. वानिकी योजनाओं में वन पंचायतों को शामिल करना एवं मार्गदर्शन करते हुए योजनाओं को कार्यान्वित करना।

13. एक प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाय ताकि जहां आवश्यक हो सक्षम स्तर से सुधार किया जा सके।

14. विभागीय वेबसाइट www.forest.uk.gov.in पर सभी संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाय जैसे विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं, सार्वजनिक उपयोगिताओं, कार्यालय संरचना संबंधी जानकारी, कार्य, भूमिका और जिम्मेदारियां आदि।

15. परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों का आवधिक (Periodic) मूल्यांकन करने के लिए एवं समग्र सुधार के लिए सिफारिशें लागू करना।

16. सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य राज्य और राष्ट्रव्यापी संगठनों के साथ संबंध मजबूत करना।

17. त्वरित निवारण के लिए अपनी शिकायत निवारण प्रणाली और मशीनरी को मजबूत करना।

18. प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन को सशक्त बनाना।

हमारे लाभार्थी

उत्तराखंड के लोगों के साथ–साथ भारत के लोग, स्थानीय समुदायों, वन पंचायतों, ग्राम पंचायतों, प्रकृति प्रेमियों, तीर्थयात्रियों, पर्यावरण–पर्यटकों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और छोटे पैमाने पर वन आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान देना।

हमारी सेवाएं

1. भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न अधिनियमों और नीतियों को लागू करना।

2. भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करना।

3. प्राकृतिक प्रबंधन, वन, वन्यजीव और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के वैज्ञानिक प्रबंधन, विकास और संरक्षण पर उत्तराखंड सरकार को तकनीकी सलाह देना।

4. उत्तराखंड सरकार को वन भूमि आवंटित करके विकासात्मक (Developmental) गतिविधियों को लागू करने में मदद करना।

5. समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में वन पंचायतों को सुविधा देना।

नागरिकों से हमारी अपेक्षाएँ

नागरिकों का चार्टर हमारे और आपके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने का एक संयुक्त प्रयास है और हम आपसे निवेदन करते हैं कि निम्नलिखित तरीके से हमारी मदद करें–

1. सुझाव देने के लिए, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, फीडबैक देना, कार्य को सुव्यवस्थित करना एवं आगे बढ़ाना तथा जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

2. वन मृदा और नदी प्रणाली राष्ट्रीय खजाने हैं और यह इस देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इसे भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित एंव सुरक्षित रखें।

3. देश के कानून के अनुसार, किसी भी गैर–वानिकी गतिविधि जैसे अवैध शिकार, अवैध कटाई, अतिक्रमण वन भूमि का विभाजन (भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना) दंडनीय अपराध हैं। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में सरकार की मदद करेंगे।

4. हम भारत के प्रत्येक संगठन, नागरिक समाज, वैज्ञानिक समुदाय, निजी एजेंसी और भारत के सभी नागरिकों से अपेक्षा करते हैं कि –

   1. अपने विचारों का आदान–प्रदान करें और प्रकृति, वन, पर्यावरण और वन्य जीवन के सामान्य कारण के लिए विभाग के साथ बातचीत करें।

   2. राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमन, कृत्यों और विधानों का सम्मान और पालन करना ताकि वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण और विकास हो ।

5. हमारी वेबसाइट www.forest.uk.gov.in पर जाय तथा हमारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिक्रिया और सुझाव प्रदान करें।

शिकायत निवारण तंत्र

उत्तराखण्ड वन विभाग जिम्मेदार और प्रभावी तरीके से शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। इस हेतु निम्न प्रकार से उपाय किये गये हैः–

1. वन विभाग उत्तराखंड के सभी कार्यालय प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के शिकायत निवारण के अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नागरिक प्रत्येक बुधवार को दोपहर 2 से 4 बजे के बीच संबंधित अधिकारी से मिल सकते हैं। यदि शिकायत निवारण के प्रभारी अधिकारी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, तो अगला वरिष्ठ अधिकारी शिकायत निवारण के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

2. यदि शिकायत का समाधान कार्यालयों के स्तर पर नहीं किया जाता है जिसके लिए वे शिकायत निवारण के अधिकारी हैं, तो शिकायत को राज्य स्तर पर शिकायत निवारण के प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लाया जा सकता है।

3. राज्य स्तर पर, मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड को वन विभाग के लिए शिकायत निवारण के प्रभारी अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

राज्य स्तर पर प्रभारी अधिकारी का पता

सभी कर्मचारियों द्वारा विनम्र और सहायक सेवा की जाएगी। यदि आपको उपरोक्त मानकों के वितरण में कोई शिकायत है तो आप हमारी विभागीय वेबसाइट www.forest.uk.gov.in के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते है।

नागरिक निम्नलिखित कार्यालय के साथ अपने सुझाव, सिफारिश आदि भी दर्ज कर सकते हैं –

मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन
कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड
85–राजपुर रोड, देहरादून कार्यालय दूरभाष (0135) 2741461
फैक्स – (0135) 2741462
ई मेलः– ccfadmin-forest-uk@nic.in

4. सार्वजनिक पोर्टल मेनू में हमारी विभागीय वेबसाइट पर एक शिकायत पंजीकरण और निवारण विकल्प भी प्रदान किया गया है।
5. जन शिकायतों के समय पर निवारण की निगरानी मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा की जाएगी।

नागरिकों के प्रति शिकायतों के संबंध में हमारी प्रतिबद्धता

शिकायतों के संबंध में नागरिक हमारे संगठन से उम्मीद कर सकते हैं कि –

1. उठाए गए शिकायतों पर समय पर कार्रवाई होगी।
2. उनकी शिकायतों को संबंधित प्राधिकारी को निर्धारित समयावधि के भीतर भेज दिया जाएगा और तदनुसार सूचित किया जाएगा।
3. आगंतुकों के साथ सु–व्यवहार किया जाएगा एवं धैर्यपूर्वक संबोधित किया जाएगा ताकि उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सके।
4. शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक निवारण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सेवाओं के वितरण के लिए समयरेखा

क्रम संख्या	सेवा का नाम एवं विवरण	सेवा के वितरण हेतु निर्धारित समय सीमा
1.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार से परियोजना की अनुमति प्राप्त करना	भारत सरकार द्वारा तय की गई निम्न समय सीमा–

वन संरक्षण (संशोधन) नियम 2014 के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समयबद्धताः–

अधिकारी	0–5 है0 वन भूमि	5–40 है0 वन भूमि	40–100 है0 वन भूमि	100 है0 से ज्यादा वन भूमि	अभियुक्ति
नोडल अधिकारी	10 दिन	10 दिन	10 दिन	10 दिन	अधूरा प्रस्ताव 10 दिन के भीतर प्रस्तावक विभाग को भेज दिया जाय तथा पूर्ण किया गया प्रस्ताव 10 दिन के भीतर उप वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी को 10 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाय।
उप वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी	30 दिन	30 दिन	45 दिन	60 दिन	प्रस्ताव वन संरक्षक को प्रस्तुत करेंगें।
वन संरक्षक	10 दिन	10 दिन	30 दिन	30 दिन	नोडल अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें। यदि 200 से अधिक वृक्षों का कटान प्रस्तावित है या वन भूमि 40 है0 से अधिक है तो वन संरक्षक द्वारा स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
नोडल अधिकारी(प्रमुख वन संरक्षक)	10 दिन	20 दिन	25 दिन	30 दिन	राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें।
राज्य सरकार/ यू0टी0 एडमिन	30 दिन	30 दिन	30 दिन	30 दिन	क्षेत्रीय कार्यालय /एम0ओ0ई0एफ0 एवं सी0सी0 को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें।
कुल समय लिया	110 दिन (कुल पारगमन सहित 20 दिन अवधि)	120 दिन (कुल पारगमन सहित 20 दिन अवधि)	160 दिन (कुल पारगमन सहित 20 दिन अवधि)	180 दिन (कुल पारगमन सहित 20 दिन अवधि)	

सिटिजन चार्टर की समीक्षा

हम चार्टर के तहत दी जा रही सेवाओं में लगातार संशोधन और सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा नागरिक चार्टर की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी–

1.	प्रमुख वन संरक्षक(HOFF) उत्तराखण्ड देहरादून	87 राजपूर रोड, देहरादून उत्तराखण्ड	कार्यालय दूरभाष :–(0135) 2746934, 2741461 फैक्सः–(0135) 2741630,2741462 ईमेलः–pccf-forest-uk@nic.in pccfuk@gmail.com
2.	मुख्य वन संरक्षक(प्रशासन), कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।	87 राजपूर रोड, देहरादून उत्तराखण्ड	कार्यालय दूरभाष :–(0135) 2741461, फैक्सः–(0135) 2741462 ईमेलः–ccfadmin-forest-uk@nic.in

ह0

(रंजना काला)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन
उत्तराखण्ड देहरादून।